विवरणिका व नियमावली

विशिष्टाचार्य (एम.फिल.)/ विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) कार्यक्रम (शिक्षाशास्त्र)

2018-19

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

विवरणिका व नियमावली

विशिष्टाचार्य (एम.फिल.) / विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) कार्यक्रम (शिक्षाशास्त्र)

2018-19

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

क्रम संख्या - 56

पंजीकृत संख्या-यू.ए./बी.एन.-30/03
(आईसन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेंट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड(क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 21 अप्रैल 2005 ई.

बैशाख 01, शक सम्वत् 1027

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 486/विधायी एवं संदीय कार्य/2005

देहरादून, 21 अप्रैल 2005

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आवेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 20.04.2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 17, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ एवं अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005

(अधिनियम सं. 17, वर्ष 2005)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में वह अधिनियम हो :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 संक्षिप्त नाम 1973)

(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 एवं प्रधान कहा जायेगा।

मूल अधिनियम - 2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, या संशोधन 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001), जिसे यहां मूल अधिनियम कहा गया है, मैं जहां-जहां 'सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय' शब्द आतेहैं, वहां उन शब्दों कै स्थान पर 'उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार शब्द रखे जायेंगे।

आज्ञा से

आई.जे. मल्होत्रा,

प्रमुख सचिव

No, 488 Nidhayee & Sansadiya Karya/2005

Dated Dehradun, April 21, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provision of clause (3) of Ariicle 348 of the India the Governor is pleased to order the publication of the following English of The Uttaranctial (The Uttar Pradesh State University Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001) (third amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 17 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative and assented and assented to by the Governor on 20.04.2005.

THE UTTRANCHAL (THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITY ACT, 073)(ADAPTAT JON AND MODIFICATION ORDER, 2001) (THIRD AMENDMENT) Act 2005

(Act no. 17 of 2005)

Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh State University Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001).

AN ACT

Be it enacted by the State Assembly of Uttaranchal in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows:

Short UUe & 1-(1) This Act may be the called The Uttaranchal. (The Uttar Commencement Pradesh State University Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001) (third amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 17, 2005).

2- It shall come into force on such date as the State date as the State Government may, be notification in the official Gazette appoint.

Amendment 2- In The Uttaranchal (The Uttar Commencement Pradesh State University Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001), herein after referred to as principal Act wherever the expression "Sampurnanand Sanskrit University" occurs, the word 'Uttaranchal Sanskrit University, Haridwar shall be substituted.

By. Order

I.J. MALHOTRA

Principal Secretor

पी.एस.यू.(आर.ई) 18 विधायी/158-2006-83+300 (कम्प्यूटर कीजियी।

प्रमुख तिथियां एवं विवरण

आवेदन उपलब्ध होने की तिथि	:	दिनांक 18 जुलाई, 2018
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	:	दिनांक 08 अगस्त, 2018
परीक्षा की तिथि एवं समय	:	दिनांक 12 अगस्त, 2018 (प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक)
प्रवेश परीक्षा केन्द्र	:	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

आवेदन पत्र/परीक्षा शुल्क

सामान्य श्रेणी और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों	:	रूपये 1000/-
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति	:	रूपये 500/-

शुल्क भुगतान

आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.usvv.ac.in से डाउनलोड करके किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट जो ''वित्त नियन्त्रक, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय'' के पक्ष में हरिद्वार में देय हो, को संलग्न कर स्वयं अथवा रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा जमा कराया जा सकता है। अभ्यर्थी डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता तथा विषय व विषय कोड अनिवार्य रूप से अंकित करें। आवेदन पत्र/परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में न तो वापस किया जायेगा और न ही उसे किसी दूसरी उपाधि के लिये स्वीकृत माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में शिक्षाशास्त्र विषय में आवेदन किया था, को आवेदन पत्र के साथ पूर्व प्रदत्त शुल्क का प्रमाण संलग्न करने पर देय शुल्क से छूट होगी।

आवेदन पत्र प्रेषण

पूरित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि दिनांक 08 अगस्त, 2018, सायं 5.00 बजे तक है। उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पूरित आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा स्वयं निम्न पते पर प्रेषित किया जा सकता है।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग
बी.एच.ई.एल. मोड़, बहादराबाद
हरिद्वार - 249402 (उत्तराखण्ड)

विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) प्रवेश परीक्षा हेतु विषय

यूएसयू-16	शिक्षाशास्त्र

नोट :

1. परीक्षा परिणाम की घोषणा विश्वविद्यालय बेबसाइट www.usvv.ac.in एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशित की जायेगी।
2. PET केवल विश्वविद्यालय (पी-एच.डी.) में प्रवेश के लिए मान्य है। PET उत्तीर्ण अभ्यर्थी की पात्रता केवल वर्तमान सत्र के लिये ही मान्य होगी, जो अभ्यर्थी PET उत्तीर्ण करेंगे, उन्हीं को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी का चयन उसके शोध क्षेत्र विषय पर विचार-विमर्श तथा साक्षात्कार के आधार पर ही किया जायेगा। कोई भी अभ्यर्थी यदि अपने साक्षात्कार और शोध क्षेत्र विषय के अनुरूप उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो स्थान को रिक्त रखा जायेगा।

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ संख्या
विश्वविद्यालय–एक परिचय	01
उपलब्ध सुविधायें	02
विद्यावारिधि (पी–एच.डी.) उपाधि के लिये पंजीकरण की अर्हता	02
आरक्षण	02
विद्यावारिधि प्रवेश की प्रक्रिया	03
प्रवेश परीक्षा (PET) का स्वरूप	03
प्रवेश पत्र	03
साक्षात्कार हेतु प्रपत्रों की सूची	04
एकसत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स–वर्क)	04
शोध समिति	04
विद्यावारिधि (पी–एच.डी.) निर्देशन के लिये निर्देशक/सह निर्देशक की योग्यता	04
प्रगति पत्र का प्रस्तुतिकरण	05
शोध प्रबन्ध का प्रस्तुतीकरण	05
शोध प्रबन्ध का परीक्षण	05
विभागों के कोड तथा उपलब्ध सीटों की संख्या	06
विद्यावारिधि (पी–एच.डी.) हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम	07–08
संकाय सदस्यों की सूची	09
शैक्षणिक कलैण्डर	10
शुल्क विवरण	11

विश्वविद्यालय - एक परिचय

स्थापना

संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध भाषाओं में से एक है। संस्कृत प्राचीन ज्ञान विज्ञान का भंडार एवं हमारी भारतीय परंपरा का प्रतीक है। संस्कृत और प्राच्य विद्याओं के प्रचार-प्रसार तथा उन्हें आधुनिक संदर्भों के साथ जोड़ने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 486/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 दिनांक 21 अप्रैल, 2005 द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी।

विश्वविद्यालय का परिसर हरिद्वार शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर बहादराबाद क्षेत्र में स्थित है, जिसका प्राकृतिक सौन्दर्यमय वातावरण शिक्षकों और छात्रों को सदैव आत्मबोध और सीखने के लिये प्रेरित करता है।

वर्तमान समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत और प्राच्य विद्याओं से संबंधित ऐसे पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जो रोजगार से भी जुड़े हुए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में प्राच्य तथा आधुनिक विद्याओं से सम्बन्धित विभिन्न उपाधि पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य संस्कृत तथा प्राच्य विद्याओं का प्रचार-प्रसार, विकास और प्रोत्साहन है, इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं :

(i) प्राच्य-पाश्चात्य ज्ञान - विज्ञान का समन्वय।

(ii) प्राच्य भाषाओं एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न विषयों के अध्ययन-अध्यापन परम्परा का निर्वहन

(iii) शिक्षण-प्रशिक्षण तथा पाण्डुलिपिविज्ञान का संरक्षण।

(iv) पालि और प्राच्य भाषाओं का संरक्षण तथा संवर्धन।

(v) संस्कृत विद्या की सभी विधाओं में अनुसंधान, प्रोत्साहन और संयोजन करना।

(vi) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत के विकास व प्रचार-प्रसार के लिए प्रयास।

(vii) प्रदेश के विविध भागों में परिसरों की स्थापना, महाविद्यालयों का अधिग्रहण और संचालन।

(viii) संस्कृत के संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार के राज्यीय अधिकरण के रूप में, उसकी नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन।

(ix) शैक्षणिक क्षेत्रों में अनुदेशन और प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना।

(x) शोध ज्ञान के प्रचार और विकास के लिए समुचित मार्गदर्शन तथा व्यवस्था करना।

(xi) भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से सृजनपीठों, शोधपीठों तथा अध्ययनपीठों की स्थापना।

(xii) भारतीय संस्कृति और साहित्य के साथ अन्य संस्कृतियों का तुलनात्मक तथा समीक्षात्मक अध्ययन और अनुसंधान।

(xiii) छात्र-छात्राओं के उत्थान में शैक्षणिक गतिविधियों और सांस्कृतिक पक्षों का निष्पादन।

(xiv) राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, कार्यशाला, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और जिज्ञासुओं का आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के साथ प्रशिक्षण।

(xv) संस्कृत साहित्य का व्यापक अध्ययन और अनुसंधान।

परिकल्पना (विजन)

(i) आगामी पांच वर्ष में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान वाले विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होना। साथ ही 'ज्ञान आधारित समाज' (नॉलेज सोसायटी) के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाना।

(ii) आंतरिक गुणवत्ता विनिश्चय प्रकोष्ठ (आई.क्यू.ए.सी.सेल) की स्थापना।

(iii) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में बौद्धिक/योग/सांस्कृतिक/क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान करना।

(iv) मौलिक शोध ग्रन्थों और अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका का सम्पादन तथा प्रकाशन।

(v) छात्रों की सुविधा के लिए छात्रावास व्यवस्था, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

संचालन संरचना

विश्वविद्यालय का संचालन अधोलिखित रूप से किया जाता है :

(i) कुलाधिपति (ii) कार्यपरिषद

(iii) विद्यापरिषद (iv) वित्त समिति

(v) परीक्षा समिति

अन्य राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के समान उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के भी कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति माननीय राज्यपाल हैं। कार्यपरिषद विश्वविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन करने हेतु अधिकार सम्पन्न परिषद् है। विश्वविद्यालय के

कुलपति इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान आदि के मानकों का निर्धारण विद्यापरिषद द्वारा होता है। विश्वविद्यालयीय वित्तीय गतिविधियों का संचालन, वार्षिक आय-व्यय का निर्धारण वित्त समिति द्वारा किया जाता है और परीक्षा समिति परीक्षाओं का आयोजन कराती है।

पदाधिकारी

कुलाधिपति	:	डॉ. कृष्ण कान्त पॉल (महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड)
कुलपति	:	प्रो. पीयूषकान्त दीक्षित
कुलसचिव	:	गिरीश कुमार अवस्थी
वित्त नियंत्रक	:	रत्नेश कुमार सिंह

उपलब्ध सुविधायें

केन्द्रीय पुस्तकालय

केन्द्रीय पुस्तकालय का संचालन विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से ही किया जा रहा है। पुस्कालय में वेद, वेदांग, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, दर्शन, शिक्षाशास्त्र, प्राच्य विद्या, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान/हिन्दी व अंग्रेजी से सम्बन्धित अनेक पुस्तकों का विशाल संग्रह है। पुस्तकालय में विभिन्न शैक्षिक और अनुसंधान की आवश्यकता को पूर्ण करने वाली शोध पत्रिकाओं और शोधग्रन्थों की व्यवस्था भी है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

प्राचीन तथा पिछड़े क्षेत्रों तथा छात्रो के सम्पूर्ण विकास व सहायता के लिये विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का भी संचालन किया जा रहा है। इसका संचालन स्नातक तथा शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) स्तर पर राज्य सरकार के सहयोग में किया जाता है।

कम्प्यूटर प्रयोगशाला

छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर प्रयोगशाला का भी संचालन किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक उपयोग के लिये सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर का संग्रह है तथा इसमें इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है।

परामर्श एवं निर्देशन प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श एवं निर्देशन प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। यह प्रकोष्ठ निरन्तर छात्रों को साक्षात्कार एवं रोजगार से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को समय-समय उपलब्ध कराता है।

शोध छात्रवृत्ति

विश्वविद्यालय द्वारा शोध छात्रवृत्ति यू.जी.सी. द्वारा संचालित नेट अथवा जे.आर.एफ. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को यू.जी.सी. के दिशानिर्देश के आधार पर प्रदान की जायेगी। शोधकर्ता राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली की छात्रवृत्तियों के लिये भी आवेदन कर सकता है।

शोध पत्रिका

विश्वविद्यालय द्वारा 'शोध प्रज्ञा' नाम से अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस शोध पत्रिका में प्राच्य एवं आधुनिक ज्ञान के समन्वय पर केन्द्रित शोध पत्रों को प्रकाशित किया जाता है। यह मूल्यांकित शोध पत्रिका है। इसके अतिरिक्त शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा 'शिक्षाश्रीः' वार्षिक शोध पत्रिका प्रकाशित की जाती है। शिक्षाशास्त्र की विशेषज्ञ पत्रिका है।

विद्यावारिधि (पी-एच.डी.)/ विशिष्टाचार्य (एम.फिल.) उपाधि के लिये पंजीकरण की अर्हता

1. विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आचार्य संस्कृत (साहित्य/व्याकरण/ज्योतिष/न्याय/वेद/वेदान्त/दर्शन) आदि पारम्परिक विषयों में अथवा एम.ए. संस्कृत के साथ शिक्षाचार्य/एम.एड. उपाधि न्यूनतम 55% अंकों के साथ प्राप्त की हो।

अथवा

2. आचार्य(एम.ए.) शिक्षाशास्त्र अथवा संस्कृत विषय के साथ एम.ए. शिक्षाशास्त्र/एम.एड. उपाधि न्यूनतम 55% अंकों के साथ प्राप्त की हो।
3. माननीय कुलपति महोदय की विशेष अनुमति से विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों हेतु विशिष्टाचार्य (एम.फिल.) व विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) में प्रवेश के लिए निर्धारित उपर्युक्त योग्यता में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

विद्यावारिधि (पी-एच.डी.)/विशिष्टाचार्य (एम.फिल.) लिखित प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकेंगे, जो स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत हैं या जिन्होंने स्नातकोत्तर की

अन्तिम वर्ष की परीक्षा दी है, लेकिन उनका परिणाम साक्षात्कार के दिन तक घोषित नहीं हुआ है। ऐसे छात्रों के लिए विद्यावारिधि के साक्षात्कार से पूर्व अपनी अर्हता परीक्षा (आचार्य या स्नातकोत्तर में वांछित प्रतिशत के साथ) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1. आरक्षण

(i) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम प्रावधान लागू होंगे। उत्तराखंड निवासी अनुसूचित जाति-जनजाति के आवेदकों को अर्हता के न्यूनतम अंको में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ उत्तराखंड के आवेदकों को ही प्रदान किया जायेगा।

(ii) विश्वविद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं को पी.एच.डी./एम. फिल. में 20 प्रतिशत (परिसरीय) तथा 60 प्रतिशत परम्परागत धारा के छात्रों को आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

2. विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) प्रवेश की प्रक्रिया

विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) हेतु अभ्यर्थी का चयन निम्न प्रकार से होगा :

(i) विद्यावारिधि पी-एचडी प्रवेश परीक्षा (PET)

अथवा

(ii) सीधा प्रवेश (without appearing in PET)

प्रवेश के लिये निम्न प्रक्रिया होगी

(i) विद्यावारिधि (पी-एच.डी.)/विशिष्टाचार्य (एम.फिल.) प्रवेश परीक्षा (PET) : जो अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते है, वे प्रवेश परीक्षा देने के लिये पात्र हैं।

(ii) सीधा प्रवेश (without appearing in PET) : जो अभ्यर्थी निम्न बिन्दुओं में सें किसी एक को यदि पूर्ण करता है, तो वह अभ्यर्थी पी-एच.डी. में साक्षात्कार के लिये सीधे अर्ह होंगे :

- यू.जी.सी की जेआरएफ- नेट अथवा सेट (उत्तराखंड) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- संबंधित विषय में एम.फिल. उपाधिधारक अभ्यर्थी (जिन्होंने एम.फिल.प्रवेश परीक्षा के द्वारा तथा कोर्स वर्क के साथ किया है और जिनका एम.फिल., यू.जी.सी. रेगुलेशन 2016 के प्राविधानों के अनुरूप प्रदान किया गया हो)

3. प्रवेश परीक्षा (PET) का स्वरूप

विद्यावारिधि (पी-एच.डी.)/विशिष्टाचार्य (एम.फिल.) प्रवेश परीक्षा के लिए 200 अंकों का एक प्रश्न-पत्र होगा, जो दो खण्डों में विभक्त होगा। प्रश्नपत्र का प्रथम खण्ड (क) 100 अंकों का होगा, जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाषा दक्षता, शोध-प्रविधि एवं सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित होंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा। प्रश्न पत्र के द्वितीय खण्ड (ख) में भी 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 अंकों का होगा, जो शोधार्थी के स्नातकोत्तर विषय से सम्बन्धित होगा। सामान्य वर्ग के परीक्षार्थी को उत्तीर्णता के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विकलांग वर्ग के आवेदक 45 प्रतिशत अंकों पर साक्षात्कार के लिये अर्ह माने जायेंगे।

नोट :

- भाषा दक्षता के अन्तर्गत परम्परागत विषयों (साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षाशास्त्र) के लिए संस्कृत और व्यावसायिक एवं आधुनिक विषयों (योग विज्ञान, हिन्दी एवं भाषा विज्ञान) में हिन्दी भाषा में सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाएंगे।
- प्रश्न-पत्र की भाषा संस्कृत/हिन्दी होगी। (परम्परागत विषयों के लिए संस्कृत तथा अन्य के लिये हिन्दी)
- प्रथम खण्ड में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले परीक्षार्थी द्वितीय खण्ड में भी 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही साक्षात्कार के लिए अर्ह घोषित किये जायेंगे। (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विकलांग वर्ग के लिए 45 प्रतिशत)।
- प्रश्नपत्र के द्वितीय खण्ड के लिये वहीं पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, जो सम्बन्धित स्नातकोत्तर विषयों में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है। (पाठ्यक्रम पृष्ठभाग में संलग्न है)
- सीधे प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में छूट प्रदान की जायेगी, लेकिन इनके लिए भी आवेदन पत्र भरकर साक्षात्कार में शामिल होना अनिवार्य होगा।
- सेवारत अभ्यर्थियों को शोध उपाधि को पूर्ण करने के लिये यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने अपने नियोक्ता से अनुमति (एन. ओ.सी.) प्राप्त कर ली है।
- नेट जेआरएफ/नेट/सेट उत्तीर्ण आवेदकों को भी परीक्षा से पूर्व ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. प्रवेश पत्र

अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। प्रवेश परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र

की द्वितीय प्रति विश्वविद्यालय परिसर से दो घंटे पूर्व भी प्राप्त की जा सकती है।

5. साक्षात्कार हेतु प्रपत्रों की सूची

साक्षात्कार / परिचर्चा के समय निम्न प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति सहित सम्बन्धित विभाग में उपस्थित होना होगा :

- हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र
- इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र
- स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा के सभी वर्षों के अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र
- स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा के सभी वर्षों के अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र
- एम.फिल. परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र
- यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. (नट-जे.आर.एफ./नेट/सेट (उत्तराखण्ड) के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि (शोध प्रवेश परीक्षा से छूट पाने वाले सीधे प्रवेश के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों के लिये)
- आरक्षण वर्ग का प्रमाण-पत्र
- सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र
- विकलांग अभ्यर्थियो के लिए जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र
- प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र (मूल प्रति)
- चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
- प्रवजन प्रमाण (पंजीकरण के समय आवश्यक होगा)

नोट : जाँच हेतु उपरोक्त सभी प्रपत्र (मूल प्रतियाँ)

6. एकसत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स-वर्क)

साक्षात्कार के उपरान्त विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) कार्यक्रम के लिये सफल घोषित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम-2016 द्वारा निर्धारित छः माह का एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) करना होगा। इसके अन्तर्गत निम्न विषयों का अध्ययन होगा :

- शोध-सर्वेक्षण एवं ग्रन्थ-समीक्षा
- संगणक (कम्प्यूटर) परिचय
- शोध प्रविधि (Research Methodology)
- निर्धारित कार्य एवं प्रस्तुति (Project and Presentation)

(स्नातकोत्तर के विशेषज्ञता विषय पर आधारित)

नोट :

- अभ्यर्थियो को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जा रहे एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (प्री-पी-एच.डी. कोर्स वर्क) को अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा, इसके उपरान्त ही शोध कार्य आरंभ करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए दो अवसर प्रदान किये जाएंगे।
- सत्रीय पाठ्यक्रम का अध्ययन पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष परीक्षा आयोजित की जायेगी।
- एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने की प्रमाण-पत्र अलग से प्रदान किया जाएगा।
- सम्बन्धित विषय में एम.फिल. अथवा सम्बद्ध विषय में पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त आवेदकों को एकसत्रीय पाठ्यक्रम से छूट देने पर विश्वविद्यालय शोध-समिति विचा कर सकेगी। (According to Clause 7.8)
- कोर्स-वर्क की कक्षाएं सामान्यतः विश्वविद्यालय स्तर पर एकीकृत रूप से संचालित की जाएंगी। आवश्यकतानुसार सुसंगत विषयों के समूह बनाकर भी कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी।
- कोर्स-वर्क 100 अंकों का होगा, जिसमें 80 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, तथा 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन (internal assessment) निर्देशक द्वारा उपस्थिति, व्यवहार, शोध पत्र लेखन आदि के आधार पर अभ्यर्थी को दिया जायेगा। कोर्स वर्क के लिये न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 40 प्रतिशत होगा।

7. शोध समिति

शोध प्रस्ताव का परिवीक्षण विश्वविद्यालय शोध समिति (R.D.C.) द्वारा होगा, जिसका गठन निम्न रूपेण किया जायेगा :

(i)	कुलपति	अध्यक्ष
(ii)	संकायाध्यक्ष (सम्बद्ध)	सदस्य
(iii)	विद्यापरिषद् का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	सम्बन्धित विभाग का वरिष्ठ आचार्य	सदस्य
(v)	सम्बन्धित विभाग का वरिष्ठ सह आचार्य	सदस्य
(vi)	सम्बन्धित विभाग का वरिष्ठ सहायक आचार्य	सदस्य
(vii)	अध्यक्ष, शोध विभाग/शोध अधिकारी	सदस्य
(viii)	कुलपति द्वारा मनोनीत दो विषय विशेषज्ञ विद्वान् (इनमें से एक विद्वान प्रदेश से बाहर का होगा)	सदस्य
(ix)	सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष/प्रभारी	सदस्य-सचिव

8. विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) निर्देशन के निर्देशक/सह-निर्देशक की योग्यता

कुलपति द्वारा अधिकृत विद्वान एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापक और नियमित शोध अधिकारी अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में शोध निर्देशन कर सकेंगे। शोध निर्देशन करने वालों की अर्हता निम्न प्रकार होगी :

(i) सम्बन्धित विषय में शोध उपाधि/विद्यावारिधि प्राप्त हो तथा आचार्य के सम्बन्ध में पांच तथा सह/सहायक आचार्यों के न्यूनतम् दो शोधपत्र मूल्यांकित पत्रिका में प्रकाशित हो।

(ii) व्यावसायिक एवं आधुनिक विषयों में ऐसे बाह्य विशेषज्ञों को भी सह निर्देशक बनाया जा सकेगा जिन्होंने शोध उपाधि प्राप्त की हो और सम्बन्धित क्षेत्र में उन्हें न्यूनतम दस वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो।

(iii) कोई भी शिक्षक अपने निकट सम्बन्धी (माँ-बाप, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री, भाई-बहन एवं उनके पाल्य) का शोध निर्देशक नहीं बन सकेगा।

(iv) जिस निर्देशक के निर्देशन में शोध-छात्र का पंजीकरण होगा, वह शोध निर्देशक अन्य संस्था में नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण के बाद भी शोध निर्देशक का कार्य सम्पन्न कर सकेगा।

(v) पी-एच.डी. हेतु पंजीकरण के पश्चात् अधिकतम् एक वर्ष के अन्तर्गत ही कुलपति की स्वीकृति से शोध निर्देशक बदला जा सकेगा।

(vi) शोध निर्देशक के निर्देशक में शोधकर्ताओं की संख्या (यू.जी.सी. के नए मानक के अनुरूप) निम्न होगी:

मार्गदर्शक श्रेणी	शोध संख्या (अधिकतम)	
	पी-एच.डी.	एम.फिल.
आचार्य	08	03
सह-आचार्य	06	02
सहायक आचार्य/शोध अधिकारी	04	01

(vii) शोध समिति की अनुशंसा पर तथा अनुसंधान निर्देशकों के अभाव में कुलपति उपर्युक्त संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं। अन्त:शास्त्रीय विषयों में आवश्यकता होने पर बाvह्य सह-निर्देशक की नियुक्ति शोध निर्देशक की संस्तुति पर कुलपति द्वारा की जाएगी।

(viii) अभ्यर्थी द्वारा पी-एच.डी. शोध प्रबन्ध जमा करने के पश्चात निर्देशक/शिक्षक की आवंटित सीट रिक्त मानी जायेगी।

9. प्रगति पत्र का प्रस्तुतीकरण

शोधार्थी को अनिवार्य रूप से तीन माह में अपना प्रगति पत्र निर्देशक की संस्तुति/हस्ताक्षर के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

10. शोध प्रबन्ध का प्रस्तुतीकरण

अनुसंधान के लिये शोध प्रबन्ध को जमा करने का न्यूनतम समय 3 वर्ष तथा अधिकतम समय 6 वर्ष होगा। यह समय पंजीकरण की दिनांक से माना जायेगा। यह पंजीकरण 6 वर्ष के उपरांत स्वत: ही निरस्त माना जायेगा। यदि लगातार तीन प्रगति पत्र शोधार्थी द्वारा जमा नहीं किये जाते तो पंजीकरण स्वत: ही निरस्त हो जायेगा। विशेष परिस्थिति में कुलपति की अनुमति से 6 माह पूर्व शोध प्रबन्ध जमा कराया जा सकेगा।

एम.फिल. पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि लगातार 02 सेमेस्टर/1 वर्ष और लगातार अधिकतम चार (04) सेमेस्टर/दो वर्ष होगी।

11. शोध प्रबन्ध का आन्तरिक स्वरूप

(i) मुख्य/प्रथम पृष्ठ
(ii) शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र
(iii) शोधार्थी का घोषणा पत्र
(iv) विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र
(v) अनुक्रमणिका
(vi) (क) भूमिका/प्रस्तावना (ख) आभार
(vii) अध्याय (क्रमानुसार)
(viii) संदर्भ ग्रन्थ सूची
(ix) परिशिष्ट

12. शोधप्रबन्ध का परीक्षण

(i) कोर्स वर्क और शोध पद्धति (रिसर्च मैथोडोलॉजी) के पूर्ण होने पर शोधार्थी को अपने शोध प्रबन्ध की प्रति कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम छ: वर्ष के मध्य जमा करानी होगी।

(ii) शोधार्थी को अपने शोध प्रबन्ध को जमा करने से पहले न्यूनतम एक शोध पत्र मूल्यांकित पत्रिका (रैफर्ड जर्नल) में प्रकाशित कराना अनिवार्य है तथा इसका प्रमाण भी शोध प्रबन्ध जमा करने के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(iii) शोध प्रबन्ध जमा करने से पहले शोधार्थी को एक पूर्व प्रस्तुति (प्री-प्रेजेन्टेशन) भी देना होगा, जो सम्बन्धित विभाग तथा उसके शोध निर्देशक की उपस्थिति में प्रतिपुष्टि (फीडबैक) तथा

टिप्पणी के लिये खुली रखी जायेगा।

(iv) शोध प्रबन्ध पूर्ण होने के बाद शोधार्थी को शोध प्रबन्ध की पाँच टंकित प्रतियां परीक्षा विभाग में जमा करनी होंगी।

(v) शोध प्रबन्ध की टंकित प्रतियों को मुख्य/प्रथम पृष्ठ के साथ बाइडिंग कराकर व शोध प्रबन्ध को सॉफ्टकॉपी को 02 सी.डी. के साथ जमा कराना अनिवार्य है।

(vi) शोध प्रबन्ध की भाषा प्राच्य विषयों संस्कृत: साहित्य, ज्योतिष व व्याकरण के लिये संस्कृत तथा अन्य विषयों के लिये वैकल्पिक रूप में (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) होगी।
होना चाहिये, भी जमा करना अनिवार्य है।

(vii) शोध प्रबन्ध एक ऐसा गुण–दोष विवेचित विशिष्ट कार्य होना चाहिए, जिसमें या तो नवीन तथ्यों का अनुसंधान हो अथवा सैद्धान्तिक तथ्यों की नवीन व्याख्या की गयी हो। उपर्युक्त दोनों बातों में आलोचनात्मक परीक्षण और दृढ़ निर्णय अनुसंधान की क्षमता का स्पष्ट सूचक माने जायेंगे।

(viii) भाषा और विषय प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से भी शोध प्रबन्ध संतोषजनक होना चाहिए। भाषा तथा शैली साहित्यिक होनी चाहिए।

(ix) शोधार्थी को अपने शोध प्रबन्ध का सारांश जो 10–15 पृष्ठ का

13. विभाग का कोड तथा उपलब्ध सीटों की संख्या

कोड	मुख्य विषय	सीट
यू.एस.यू. 16	शिक्षा शास्त्र	16

शिक्षा में विद्यावारिधि (प्री. पी–एच.डी) प्रवेश परीक्षा हेतु विषय वस्तु

1. शिक्षा के दार्शनिक आधार

(क) सम्प्रत्यय एवं परिभाषा, प्रकृति, सम्बन्ध, सांख्य, वेदान्त, न्याय, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इस्लाम, सम्प्रत्यय, तत्व एवं मूल्य मीमांसा तथा इनका शैक्षिक निहितार्थ, तार्किक विश्लेषण, तार्किक अनुभववाद, सापेक्षवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, ज्ञान मीमांसा, तत्वमीमांसा एवं मूल्यमीमांसा के सन्दर्भ में, तथा इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, विषयवस्तु शिक्षणविधि एवं शैक्षिक निहितार्थ, स्वतन्त्रता, समानता, समसामायिक भारतीय शिक्षा में भारतीय दार्शनिकों के योगदान को समझ सकेंगे, हमारे जीवन में शैक्षिक मूल्यों के प्रभाव को समझ सकेंगे, भारतीय संविधान द्वारा शिक्षा के लिए किए गए प्रावधानों की व्याख्या कर सकेंगे, लोकतन्त्र की विशेषताओं एवं कार्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, यथार्थवाद, तार्किक सापेक्षवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा एवं तत्त्व मीमांसा, तथा इन का शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु एवं शिक्षण–विधियों के सन्दर्भ में शैक्षिक निहितार्थ, विवेकानन्द, गाँधी, टैगोर, अरविन्दो, जे0 कृष्णमूर्ति, शिक्षा एवं इस की राष्ट्रीय मूल्य विकास में भूमिका (विकासशील देशों के सन्दर्भ में), भारतीय संविधान, लोकतन्त्र, उत्तरदायित्व।

2. शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार

समाजिक संस्थाएं एवं इनका सम्प्रत्यय, समाजिक संस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक लोक परम्पराएं, समुदाय, विभिन्न संस्थाएं एवं मूल्य, सामाजिक संस्थाओं के गत्यामक विशेषताएं एवं इनका शैक्षिक निहितार्थ, सामाजिक समूह एंव अन्य समूहों के साथ सम्बन्ध समूह गतिशीलता, सामाजिक स्तरीकरण, सम्प्रत्यय एवं इसका शैक्षिक निहितार्थ, संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की भूमिका, शिक्षा के सांस्कृतिक निर्धारक तत्व, शिक्षा और सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिर्वतन– अर्थ, सम्प्रत्यय (भारतीय सन्दर्भ में) शहरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, एवं सांस्कृतिकरण का सम्प्रत्यय (भारतीय सन्दर्भ में) एवं इसका शैक्षिक निहितार्थ, सामाजिक–आर्थिक कारक एवं इनका शिक्षा पर प्रभाव, समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, महिला एवं ग्रामीण जनसंख्या, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, सामाजिक प्रणली के रूप में, सामाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में, सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा एवं राजनीति, शिक्षा एवं धर्म, सामाजिक समता एवं शैक्षिक अवसरों की समान्ता के सन्दर्भ में शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की असमानता एवं उसका सामाजिक विकास पर प्रभाव, सामाजिक सिद्धान्त (सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में)–मार्क्सवाद, समग्र मानवता वाद (स्वदेशी पर आधारित)

3. शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार

शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सम्बन्ध, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र, प्रयोगात्मक, उपचारात्मक, डिफरेशियल, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक सम्प्रत्यय एवं क्षेत्र निर्धारक तत्त्व–वैयक्तिक भिन्नता में वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वैयक्तिक भिन्नता का महत्त्व,अर्थ एवं विशेषताएं, आवश्यकता एवं समस्याएं, सम्प्रत्यय, विशेषताएं, सृजनात्मकता का विकास, शिक्षा में सृजनात्मकता का महत्त्व, बुद्धि की परिभाषा एवं प्रकृति, सिद्धान्त–द्विकारक सिद्धान्त (स्पीयरमैन)। बहुकारक सिद्धान्त, समूहकारक सिद्धान्त), गिलफोर्ड की बुद्धि की संरचना, पदानुक्रमिता, बुद्धि का मापन (दो शाब्दिक एवं दो अशाब्दिक परीक्षण, अर्थ एवं निर्धारक तत्त्व। प्रकार एवं गुण सिद्धान्त, व्यक्तित्व परीक्षण (आत्मनिष्ठ एवं प्रक्षेपी विधियां), अर्थ, सिद्धान्त एवं इनका शैक्षिक निहितार्थ–पॉवलाव का शास्त्रीय अनुबन्धन, स्कीनर का क्रिया प्रसूत, अन्तर्दृष्टि सिद्धान्त, लेविन का क्षेत्र सिद्धान्त, गैने का अधिगमपदानुक्रमिता, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सम्प्रत्यय, अभिप्रेरणा के सिद्धान्त–शारीरिक सिद्धान्त, मुरे की आवश्यकता सिद्धान्त, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिता का सिद्धान्त, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, मानसिक स्वास्थ्य एवं विज्ञान– समायोजन एवं समायोजन की प्रक्रिया, सुरक्षा प्रतिविधि।

4. शिक्षा में अनुसन्धान विधियां

वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्ति की विधियां, परम्पराएं, अनुभव, तर्क, अगमनात्मक एवं निगमानात्मक शैक्षिक अनुसन्धान की प्रकृति एवं क्षेत्र–अर्थ, प्रकृति, एवं

सीमाएं, शैक्षिक अनुसन्धान की आवश्यकता एवं उद्देश्य, वैज्ञानिक खोज एवं सिद्धान्त का विकास, मूलभूत, अनुप्रयोगात्मक एवं क्रियात्मक अनुसन्धान, गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुसन्धान। शैक्षिक अनुसन्धान में प्रचलित नवीन प्रणालियां–अनुसंन्धान की समस्या का निर्माण–समस्या के पहचान के लिए स्रोत एवं कसौटी, चरों की पहचान एवं क्रियान्वयन, सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन, महत्त्व एवं विभिन्न स्रोत (इन्टरनेट इत्यादि) अनुसन्धानों में के विभिन्न प्रकार के परिकल्पनाओं का निमार्ण आंकड़ों के प्रकार, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, शोध के उपकरण, विधियाँ एवं इनकी विशेषताएं, अच्छे शोध उपकरण के गुण, प्रश्नावली ,साक्षात्कार, अवलोकन समाजमिति विधियां,प्रक्षेपी विधियां अच्छे न्यादर्श के गुण एवं सोपान, न्यादर्श की विभिन्न विधियां–सम्भाव्य एवं असम्भाव्य, न्यादर्श त्रुटियां एवं इसे कैसे कम कर सकते है, अनुसन्धान के प्रमुख दृष्टिकोण–वर्णनात्मक उपागम कार्योत्तर अनुसन्धान, प्रयोगशाला अनुसन्धान, क्षेत्र अध्ययन, ऐतिहासिक अनुसन्धान, अनुसन्धान प्रारूप–अर्थ, सम्प्रत्यय, प्रकार एवं उपादेयता। एन्थोग्राफिक एथनोग्राफिक्स विकासात्मक, डॉक्यूमेन्टरी विश्लेषण, निष्कर्ष की वैधता एवं सीमाएँ, अनुसन्धान की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक, अनुसन्धान के निष्कर्ष की वैधता को कैसे बढ़ा सकते हैं ? अनुसन्धान प्रस्ताव तैयार करना (शोध संक्षिप्तिका), अनुसन्धान प्रतिवेदन लिखना एवं मूल्यांकन करना।

5. भारतीय शिक्षा की समसामयिक सन्दर्भ

वैदिककाल, बौद्धकाल, मध्यकाल (मुगलकाल), एडम का प्रतिवेदन एवं सुझाव, वुड घोषणा पत्र 1854, लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन, (क) सैडलर कमीशन का प्रतिवेदन 1917 एवं इसके आवश्यक प्रावधान, हर्न्टांग समीति एवं इसके सुझाव,(ख) सार्जेन्ट प्रतिवेदन 1944(ग) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948–49 माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952–53, भारतीय शिक्षा आयोग – 1964–66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1992, शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं अन्य सम्बन्धित विषय जैसे प्राथमिक शिक्षा में साक्षरता एवं पूर्णता दर आदि, शिक्षा का व्यवसायीकरण, बालिकाओं के लिए शिक्षा, सामाजिक रूप से पिछडे वर्ग –अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के लोगों की शिक्षा, शिक्षा में गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता से सम्बन्धित विषय, शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने वाले सामाजिक समता से सम्बन्धित विषय, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली एवं (ओपन लर्निगं) मुक्त अधिगम से सम्बन्धित विषय, जीवन कौशल एवं मानव मूल्यों के लिए शिक्षा, शिक्षा के माध्यम (भाषा चयन) से सम्बन्धित विषय–त्रिभाषा सूत्र, वैश्विक सन्दर्भ में भावात्मक एकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध से सम्बन्धित विषय।।

संकाय सदस्यों की सूची

शिक्षाशास्त्र विभाग

1. डॉ. अरविन्दनारायण मिश्र, एम.एड., एम.ए. (संस्कृत), नेट (संस्कृत), पी–एच.डी., (शिक्षा) प्रभारी विभागाध्यक्ष
2. डॉ. प्रकाशचन्द्र पन्त, एम.एड., एम.ए., पी–एच.डी., (संस्कृत, शिक्षा) सहायक प्रोफेसर
3. डॉ. बिन्दुमती द्विवेदी, एम.ए. (संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी), नेट, एम.फिल., पी–एच.डी., (संस्कृत, शिक्षा) सहायक प्रोफेसर
4. डॉ. सुमन प्रसाद भट्ट, एम.ए., एम.एड., नेट (शिक्षा) पीएच.डी. (शिक्षा) सहायक प्रोफेसर
5. सुश्री मीनाक्षी, एम.ए. (अर्थशास्त्र, इतिहास) एम.एड., सेट (शिक्षा) सहायक प्रोफेसर

शैक्षणिक कलैण्डर

1.	आवेदन उपलब्ध होने की तिथि	18 जुलाई, 2018
2.	आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	08 अगस्त, 2018
3.	पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा की तिथि	12 अगस्त, 2018
4.	पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषणा	20 अगस्त, 2018
5.	साक्षात्कार की तिथि	25 अगस्त, 2018
6.	प्री–पी–एच.डी. कोर्स का प्रारम्भ	03 सितम्बर, 2018

नोट :

- आर.डी.सी. बैठक की तिथि के सम्बन्ध में शोधार्थी को रजिस्टर्ड डाक से अवगत कराया जायेगा।
- आवश्यकतानुसार तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

एम.फिल. से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों का विवरण

1.	प्रवेश परीक्षा शुल्क	रू0	1000.00
2.	कोर्स वर्क में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुल्क	रू0	1000.00
3.	कोर्स वर्क के बाद एम.फिल. पंजीकरण शुल्क	रू0	5000.00
4.	मासिक शुल्क	रू0	250.00
5.	पुस्तकालय मासिक शुल्क	रू0	100.00
6.	पुस्तकालय सुरक्षा धन (Refundable)	रू0	1000.00
7.	शोध प्रबन्ध जमा कराने का शुल्क	रू0	5000.00
8.	संशोधन के बाद शोध प्रबंध जमा कराने का शुल्क	रू0	5000.00
9.	उपाधि शुल्क	रू0	500.00
10.	अस्थाई प्रमाण पत्र (प्रोविजनल) शुल्क	रू0	100.00

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) से सम्बन्धित विभिन्न शुल्क जो निर्धारित किये गये हैं निम्नवत् हैं।

1.	प्रवेश परीक्षा शुल्क	रू0	1000.00
2.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम कोर्स वर्क में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुल्क	रू0	1000.00

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) हेतु विभिन्न शुल्कों का विवरण–

1.	एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स–वर्क) के आवेदन पत्र शुल्क	रू0	20.00
2.	एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) हेतु शुल्क	रू0	1000.00
3.	मासिक शुल्क	रू0	500.00
4.	पुस्तकालय मासिक शुल्क	रू0	200.00
5.	पुस्तकालय शुल्क (सुरक्षा धनराशि)	रू0	1000.00
6.	परिचय पत्र शुल्क	रू0	50.00
	कुल योग	**रू0**	**2770.00**
7.	एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) के परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	रू0	20.00
8.	नामांकन शुल्क	रू0	100.00
9.	परीक्षा शुल्क	रू0	500.00
	कुल योग	**रू0**	**620.00**
10.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम कोर्स वर्क द्वितीय प्रति लब्धांक पत्र शुल्क	रू0	200.00
11.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम कोर्स वर्क द्वितीय प्रति परिचय पत्र शुल्क	रू0	100.00

12. विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) उत्तीर्ण करने के पश्चात शोध समिति (R.D.C.) की बैठक आहूत की जायेगी जिसमें साक्षात्कार सम्पन्न होने के उपरान्त पंजीकरण किया जायेगा। शुल्कों का विवरण निम्नवत होगा –

विद्यावारिधि (पीएच.डी. से सम्बन्धित शुल्कों का विवरण :

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पंजीकरण शुल्क			रू0	5000.00
त्रैमासिक प्रगति विवरण शुल्क			रू0	1050.00
1. मासिक शुल्क	रू0	250.00		
2. पुस्तकालय मासिक शुल्क	रू0	100.00		
कुल योग			**रू0**	**350.00**
पुस्तकालय सुरक्षा धन (Refundable)			रू0	1000.00
शोध प्रबन्ध जमा कराने का शुल्क			रू0	5000.00
संशोधन के बाद शोध प्रबंध जमा कराने का शुल्क			रू0	5000.00
उपाधि शुल्क			रू0	500.00
अस्थाई प्रमाण पत्र (प्रोविजनल) शुल्क			रू0	100.00

रैगिंग-एक दण्डनीय अपराध

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 के नियम-7 के अनुसार रैगिंग एक आपराधिक गतिविधि है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) रैगिंग अधिनियम 2009 के नियम-66.3 दिनांक 17 जून, 2009 के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग निषेध समिति का गठन हुआ।

विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में यदि रैगिंग संबंधी कोई भी घटना सामने आती है, तो सम्बन्धित से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा जायेगा, संतोषजनक उत्तर न पाये जाने की स्थिति में संबंधित को विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय

हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग

बी.एच.ई.एल. मोड़, बहादराबाद, हरिद्वार

वेबसाइट : www.usvv.ac.in, ई-मेल : uttarakhandsvv@gmail.com

फोन नं0 : +91 9485156220, 9758492740

क्र0सं0 .....

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः,

पो0 बहादराबादं, हरिद्वारम्

पूर्वपाठ्यक्रम-प्रवेशावेदनपत्रम् (प्री पी-एच.डी./एम.फिल.)

विद्यावारिधिः/विशिष्टाचार्यः

सत्रम् .....

नूतनं
छायाचित्रम्
संश्लेषणीयम्

यस्मिन् पाठ्यक्रमे प्रवेशो वांछितः.....

शुल्कम् रसीद सं ..... दिनांकः .....

संकायः ..... विभागः .....

विषयः .....

1. उत्तीर्ण-परीक्षा (येनाधारेण प्रवेशो वांछितः) .....
2. छात्र/छात्रा नाम (हाईस्कूल प्रमाण-पत्रानुसारम्)
   (क) हिन्द्याम् .....
   (ख) अंग्रेजी (स्थूलाक्षरेषु) .....
3. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण-पत्रानुसारम्) (अंकेषु) ..... (शब्देषु) .....
4. पितृनाम (हिन्द्याम्) ..... अंग्रेजी(स्थूलाक्षरेषु) .....
5. मातृनाम (हिन्द्याम्) ..... अंग्रेजी(स्थूलाक्षरेषु) .....
6. स्थायीपत्राचारसंकेतः ..... वर्तमानपत्राचारसंकेतः .....
   .....
   ..... फोन नं0/मो0नं0.....
7. स्थानीयसंरक्षकस्य नाम, तेन सह सम्बन्धःएवं पत्राचारस्य संकेतः .....
   ..... फोन नं0/मो0नं0.....
   जन्मस्थानम् .....जनपदः ..... राज्यम् ..... राष्ट्रीयता .....
8. अनुसूचितजातिः/जनजातिः/पिछड़ी जातिः/विकलांगः (प्रमाणपत्रं संलग्नं करणीयम्) .....
9. संस्थायाः नाम व पत्राचारसंकेतः (यतः पूर्वशिक्षा सम्प्राप्ता) .....
10. शैक्षिक-योग्यता(प्रमाणपत्रं तथा अंकपत्राणां प्रमाणितप्रतिलिपयः संयोजनीयाः) .....

उत्तीर्ण-परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालयः	वर्षम्	श्रेणी	प्रतिशतम्	विषयः
हाईस्कूल/समकक्ष					
इण्टरमीडिएट(10+2)					
अथवा समकक्ष-परीक्षा					
शास्त्री(स्नातक)					
आचार्य (स्नातकोत्तर)					
एम.फिल.					
अन्यानि-नेट/जे.आर.					
एफ./सेट यदि चेत्					

क्र0सं0 .....

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः

पूर्वपाठ्यक्रम-प्रवेशावेदनपत्रम् (प्री पी-एच.डी./एम.फिल.)

छात्र/छात्रा नाम ..... पितृनामश्री ..... प्री.पी-एच.डी. (विद्यावारिधिः) विषये .....
..... प्रवेश-हेतवे आवेदनपत्रं प्राप्तम्। संलग्न-प्रमाणपत्राणां संख्या

दिनांक :

ह0लिपिकस्य

अहं घोषयामि यत् उपर्युक्तविवरणं मद्दृष्ट्या सत्यमस्ति।अहं विश्वविद्यालये अध्ययनसमये अन्यां कान्चित् परीक्षां नियमित/व्यक्तिगतछात्र/छात्रारूपेण न दास्यामि।अहं उत्तराखण्ड-संस्कृत-विश्वविद्यालयस्य पठन-पाठनस्य, आचरणस्य, स्वजनादिकस्य, प्रयासस्य, वेषभूषाया: तथा च रैगिंग इत्यादीनां नियमानां पालनं सम्यक्तया करिष्यामि। यदि कक्षायां मदीयोपस्थिति: नियमितरूपेण न भवेत् तदा प्रवेशनिरस्तीकरणस्य अधिकार विश्वविद्यालयस्य पार्श्वे भविष्यति विपरीताचारदशायां तथा च पृष्ठांकितविवरणस्य सत्यदशायां मत्प्रवेशो निरसनीय:।

ह0 पिता/संरक्षक:
दिनांक .....

ह0 छात्र/छात्रा
दिनांक .....

कार्यालयप्रयोगार्थम्

छात्र/छात्रा नाम ..... संरक्षक/पितृनाम श्री ..... द्वारा प्रस्तुत-शैक्षिक-योग्यता-सम्बन्धि प्रमाणपत्राणि अवलोकितानि। अभ्यर्थी आवेदित-पाठ्यक्रमाय निर्धारितां प्रवेश योग्यतां धारयति।अत: असौ / अस्यै प्री पी-एच.डी..... विषये ..... प्रविष्टिहेतवे संस्तुति: प्रदीयते। डॉ0/श्री/श्रीमती..... भवतां निर्देशका: भविष्यन्ति।

ह0 परीक्षक: निर्देशक: विभागाध्यक्ष: संकायाध्यक्ष:

दिनांक :

प्रवेशसमये प्रदत्तं शुल्कविवरणम्
शुल्कम् रू..... रसीद संख्या ..... दिनांक .....प्रदत्तम्

शुल्कलिपिकस्य नाम..... **ह0लिपिकस्य**

प्रवेश-आवेदन-पत्रेण सह संलग्नप्रमाणपत्राणां अनुक्रमणिका
(समस्तानामङ्कपत्राणां/प्रमाणपत्राणां प्रमाणित-प्रतिलिपय:)

प्रमाणपत्राणि : स्थानान्तंरणम् (टी.सी.), प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाणपत्रम् (मूलप्रति) अन्येषां विश्वविद्यालयानां संदर्भे, चरित्रप्रमाणपत्रम् (मूलप्रति), पूर्वमध्यमा/हाईस्कूल अंकपत्रं तथा प्रमाणपत्रम्, उत्तरमध्यमा/इण्टरमीडिएट/(10+2) अथवा समकक्षपरीक्षाया: अंकपत्रम्, शास्त्री(स्नातक)/आचार्यस्नातकोत्तरपरीक्षाया: अंकपत्रम्, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/विकलांगप्रमाणपत्रम् (उत्तराखण्डराज्यस्यपरिप्रेक्ष्ये), अन्यानि प्रमाणपत्राणि, अनापत्तिप्रमाणपत्रम्/(एन.ओ.सी.) स्थायीसेवारताभ्यर्थिनां कृते

संलग्नप्रमाणपत्राणां सम्पूर्णसंख्या

ह0 छात्र/छात्रा

ह0लिपिकस्य
लिपिकस्य नाम.....
दिनांक .....